

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 4 (24) आकाशि/नि.स./1957/723

दिनांक 30.6.17

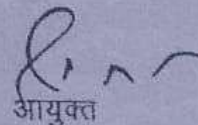
आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2017-18 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है-

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	नवीन संकाय/विषय
श्री जैन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, समरतन कोचर सर्किल केमहाराजा गंगासिंह पास, नोखा रोड, गंगाशहरविश्वविद्यालय, बीकानेर। जिला-बीकानेर।		स्नातक स्तर पर कला संकाय- अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, लोकप्रशासन, समाजशास्त्र।

- संबंधित विश्वविद्यालय एवं बी०सी०आई०से संबद्धता प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजीसी अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानकानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था को समय-2 पर यूजीसी/राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तरसामन्वी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
- संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहृत (Withdraw) किया जा सकता है।
- संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- निधि महाविद्यालयों को बीसीआई. के नियमों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था प्रति वर्ष आयुक्तालय/ नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/ विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएं भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करे। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
- उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहृत कर लिया जायेगा।

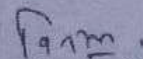
Keep in Record
कॉलेज
30-6-17


आयुक्त

कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सहायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, आते० मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, बीकानेर।
- मुख्य सचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
- सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- शिक्षा पत्रावली


विभाग

संयुक्त-निदेशक (निजी संस्था)
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (24)आकाशि/नि.सं./1957/ 1084

दिनांक :- 08/11/2017

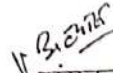
संशोधन आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक: एफ4 (24) आकाशि/नि.सं./1957/723, दिनांक:-30.06.2017 के द्वारा श्री जैन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, रामरतन कोचर सर्किल के पास, नोखा रोड़, गंगाशहर, जिला-बीकानेर को स्नातक स्तर पर नवीन विषय कला संकाय में अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, लोकप्रशासन, समाजशास्त्र स्थाई प्रमाणपत्र जारी किया गया था। स्नातक स्तर पर कला संकाय में उक्त विषयों के साथ कम्प्यूटर भी पढ़ा जाये। यह आदेश पूर्व आदेश के अतिक्रमण में जारी किया जाता है।


अतिरिक्त आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, बीकानेर।
4. कुल सचिव, गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त-निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर



राजस्थान सरकार (29)
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (49)आकाशि/नि.सं./1957/ 1096

दिनांक:- 16-5-18

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय-नीति के अन्तर्गत सत्र 2018-19 से स्नातक स्तर पर नवीन संकाय व विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	संबद्ध विश्वविद्यालय	नवीन संकाय व विषय
श्री जैन माठशाला संभा, गंगवान महावीर मार्ग, गंगाशहर रोड, बीकानेर।	श्री. जैन पी.जी. कॉलेज, नोखा रोड, गंगाशहर, बीकानेर।	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।	स्नातक स्तर पर कला, संकाय- डिफेंस एण्ड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इंडियन एण्ड पैटिंग भूगोल, जैनेलॉजी एण्ड कॉम्परेटिव सिलिजन एण्ड, फिलोसोफी, गणित, राजस्थानी, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य।

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
2. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
3. संस्था को समय-समय पर यूजी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
4. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
5. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
6. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशिक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
8. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
9. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
10. राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2018-19 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
11. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएं भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

Principal
Shri Jain P.G. College
Bikaner (Raj.)

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

- निजी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -
1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
 2. जिला कलेक्टर, बीकानेर।
 3. कुल सचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
 4. सचिव, सम्बंधित महाविद्यालय।
 5. सांख्यिकी साक्षी आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 6. संचालक संस्था।

